कार्यालय नगर पालिका, नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)

क्रमांकः–न.पा. नीमकाथाना / फायर / 2022 / 1842 दिनांक 14/09/2022

प्रेषित ....

श्री आवेदक का नाम अरावली पब्लिक स्कूल

पता रीको औद्योगिक क्षेत्र,

नीमकाथाना (सीकर)

विषय :– अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंगः– आपके पत्रांक 216 दिनांक 02/09/2022 के क्रम में।

आपके अरावली पब्लिक स्कूल, नीमकाथाना का निरीक्षण किया गया निरीक्षण दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गये अतः उपरोक्तानुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैः–

शर्ते :–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष कि अवधि के लिए मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशो का पालन करना होगा।
4. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम – उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
5. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
6. पानी की टैंक हर समय भरे रखने होगें व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगें।
7. फायर वाहन आसानी से जा सके इसके लिए खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
8. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावें।
9. यह प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा के लिये ही मान्य होगा।
10. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें।
11. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नही होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नीमकाथाना
Chief Executive Officer
Municipality Neem Ka Thana